30/5/2026	वकील पक्षी हाजिर। कमिश्नर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्ट पक्षी व आपत्ति नहीं कराना चाहता है। अतः आपत्ति नहीं करने के बाद पत्र इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा बाद दाखिल दफ्तर हो। फैसला सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), कपासन